

राजस्थान –सरकार

निदेशालय चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण सेवाये, राजस्थान जयपुर।

क्रमांक:—ई-11/नर्सिंग/नर्स-2/ए-248/2018/

दिनांक:—

आदेश

श्री अभय कुमार कुमावत नर्स द्वितीय, सवाईमानसिंह चिकित्सा महाविद्यालय जयपुर को इग्नू से पोस्ट बेसिक बी.एस.सी. नर्सिंग पत्राचार से करने की अनुमति निम्न शर्तों के अध्याधीन प्रदान की जाती है:—

1. राज्य सेवा में कोई व्यवधान नहीं होगा।
2. राज्य सरकार/विभाग द्वारा कोई वित्तीय भार वहन नहीं किया जायेगा।
3. उक्त कार्य हेतु इग्नू द्वारा निर्धारित Prospectus के अनुसार Practical & Viva Voice Examintion हेतु निर्धारित अवधि का नियमानुसार अवकाश निदेशालय स्तर से ही स्वीकृत कराकर प्रस्थान करेंगे।
4. कोर्स उत्तीर्ण होने के पश्चात किसी प्रकार की पदोन्नति एवं वित्तीय लाभ की मांग नहीं करेंगे।
5. परीक्षा दिवस का ही अवकाश स्वीकृत किया जायेगा।
6. कोर्स/परीक्षा की तैयारी हेतु कोई अवकाश देय नहीं होगा।
7. नियमित कक्षा हेतु कोई अवकाश देय नहीं होगा।
8. राज्य हित में उक्त स्वीकृति को कभी भी निरस्त किया जा सकेगा।

—sd—
(राकेश शर्मा)

अतिरिक्त निदेशक (प्रशासन)
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएँ

राज0 जयपुर

दिनांक:—04/06/2018

क्रमांक:—ई-11/नर्सिंग/नर्स-2/ए-248/2018/795

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:—

- 1— प्रधानाचार्य एवं नियंत्रक सवाईमानसिंह चिकित्सा महाविद्यालय जयपुर।
- 2— संबंधित कार्मिक द्वारा उनके प्रशासनिक अधिकारी।
- 3— प्रभारी सर्वर रूम को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु।
- 4— आदेश पत्रावली।

(राकेश शर्मा)

अतिरिक्त निदेशक (प्रशासन)
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएँ

राज0 जयपुर